

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

ज्ञाप सं०-पि०व०/छात्रवृत्ति-55-01/2010- 03,
सेवा में,

पटना, दिनांक-10/01/2025,

महालेखाकार, (ले० एवं ह०)
वीरचन्द पटेल मार्ग,
बिहार, पटना।

विषय:- विभागीय संकल्प संख्या-2565, दिनांक-21.12.2017 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024-25 में "मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना" हेतु शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को कुल ₹0 2768.00 लाख (₹0 सताईस करोड़ अड़सठ लाख) मात्र व्यय की स्वीकृति।

आदेश:-स्वीकृत।

2-राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में "मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना" अन्तर्गत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार, पटना से दसवीं परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्रति छात्र/छात्रा ₹0 10,000/- (रुपये दस हजार) मात्र की दर से वृत्तिका के रूप में देने हेतु बजट उपबंधित राशि सेकुल ₹0 2768.00 लाख (₹0 सताईस करोड़ अड़सठ लाख) मात्र की राशि का व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- कुल भारित व्यय की राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य योजना माँग संख्या-11 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-उप मुख्य शीर्ष 03-पिछड़े वर्गों का कल्याण-लघु शीर्ष 277-शिक्षा-उप शीर्ष 0101-शिक्षा-विषय शीर्ष 34-छात्रवृत्ति/वजीफा (0101-34-02 प्रोत्साहन) विपत्र कोड-11-2225032770101 के अधीन विकलनीय होगा।

4- इस स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटित राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। विभागीय संकल्प संख्या-2565, दिनांक-21.12.2017 के आलोक में राज्य स्तर पर इस योजना के लिए नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना होंगे।

5-यह राशि बिहार के स्थायी निवासी विद्यार्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार, पटना से दसवीं परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्णता के आधार पर उक्त कोटि के निर्धारित अहर्ता को पूर्ण करने वाले योग्य छात्र/छात्राओं को उपलब्ध कराया जायेगा।

6-साथ ही जिला पदाधिकारी अपने स्तर से अनुश्रवण करेंगे कि उक्त कोटि के निर्धारित अहर्ता को पूर्ण करने वाले छात्र/छात्राओं को ही मेधावृत्ति योजना का लाभ दिया जाए।

7-उक्त स्वीकृत राशि का व्यय सर्वप्रथम वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के लाभार्थियों के लिए किया जायेगा।

8-अत्यंत पिछड़ा वर्ग (BC-1) के वैसे छात्र/छात्रा जो मैट्रिक (दसवीं) की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना से प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो चुके हैं, को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना से प्राप्त सूची के आधार पर आवश्यक वांछित प्रमाण-पत्रों यथा, जाति प्रमाण पत्र, प्रवेश पत्र, अंक पत्र, आवासीय प्रमाण-पत्र, आधार-संख्या एवं बैंक अकाउंट की छायाप्रति की आवश्यक जाँचोपरान्त एवं उचित पहचान कर एकमुश्त राशि ₹0 10,000/- (रुपये दस हजार) मात्र का भुगतान DBT के माध्यम से शिक्षा विभाग, बिहार पटना के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी लाभार्थियों के बैंक खाता में हस्तांतरित करना सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना मद में व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (विहित प्रपत्र में) निर्धारित समय सीमा के अन्दर नियमानुसार महालेखाकार को समर्पित करते हुए इसकी सूचना पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को भेजेंगे।

9-इस राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.1998, बिहार कोषागार संहिता (संशोधित, दिनांक-07.02.2014), 2011 के नियम-272 में उल्लेखित Scholarship तथा Stipend की निकासी हेतु "The list of Statement showing name of student, name and address of father, class roll no, Scheme name, Period, rate of stipend and total amount shall be attached with all BTC - 43 bills" एवं वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापक-3808, दिनांक-02.06.2017 तथा

समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेंगे और साथ ही सुनिश्चित करेंगे कि निर्धारित अहर्ता को पूर्ण करने वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को ही मेधावृत्ति का लाभ दिया जाय।

10-प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

11-प्रस्ताव में माननीय मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(अनिल कुमार ठाकुर)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-पि0व0/छात्रवृत्ति-55-01/2010- 03

पटना, दिनांक- 10/01/2025

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-पि0व0/छात्रवृत्ति-55-01/2010- 03

पटना, दिनांक- 10/01/2025

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना/निदेशक/उप निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-पि0व0/छात्रवृत्ति-55-01/2010- 03

पटना, दिनांक- 10/01/2025

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, शिक्षा विभाग/ माननीय मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-पि0व0/छात्रवृत्ति-55-01/2010- 03

पटना, दिनांक- 10/01/2025

प्रतिलिपि:- बजट सहायक/विशेष कार्य पदाधिकारी/उप सचिव (योजना) पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को CFMS पर अपलोड करने हेतु एवं आई0टी0मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव